हथियार दिखाकर स्वर्ण व्यवसायी से हुई लूट व डकैती वारदात का खुलासा

- मास्टर माइंड सहित चार आरोपी गिरफ्तार, एक आरोपी फरार
- पुलिस वारदात में इस्तेमाल कार, दो नंबर प्लेट सहित एटीएम कार्ड बरामद

अजमेर की पींसागन पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।

अजमेर, (कासं)। जिला पुलिस अधीक्षक ने गुरुवार को 13 मई को पीसांगन पुलिस थाना क्षेत्र के गांव करनौस में हुई स्वर्ण व्यापारी के साथ हथियारों की नोंक पर लूट व डकैती की वारदाता का खुलासा किया है। मामले में जिला पुलिस व पीसांगन पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए मास्टर माइंड सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल एक बिना नंबरी स्कॉडा कार व दो अलग अलग नबरों की नंबर प्लेट व एक एटीएम कार्ड जब्त किया है।

जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने गुरुवार को मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 13 मई को पीसांगना पुलिस थाना क्षेत्र के गांव करनौस में स्वर्ण व्यवसायी कमल किशोर सोनी के साथ हथियार की नोंक पर लूट व डकैती की वारदात हुई। मामले में स्वर्ण व्यवसायी सोनी ने पीसांगन थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस में दी शिकायत में सोनी ने बताया कि प्रतिदिन की तरह 13 मई को शाम साढ़े सात बजे दुकान मंगल कर अपनी कार बेगानार से ब्यावर जाने के लिए निकला साथ में उनका पुत्र कौशल सोनी व मुनिम रामचंद्र माली थे। थोरिया रामगढ़ से बाबर रोड नेमीचंद कुमावत के मान से पहले पहुंचा तभी पीछे कच्चे रास्ते से एक कार आई और उनकी गाड़ी के आगे लगा दी, कार में सवार 5 व 6 लोग नीचे उतर और लकड़ी के डंडे से मारपीट करने लगे तथा गाड़ी में तोडफ़ोड़ कर रिवाल्वर और चाकू दिखा गाड़ी से बाहर निकाल लिया हमारे साथ मारपीट करने लगे और सोने चांदी के जेवरात (करीब 17-20 किलो चांदी, 300 ग्राम सोना तथा 1 लाख 76 हजार रुपए की नकदी) रखे बैग के साथ तिजोरी व दुकान की चाबी तथा मोबाइल छिन कर कार में बैठ कर फरार हो गए। पीसांगना थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी।

एडिशनल एसपी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी बावरी गैंग के सदस्य हैं। उन्होंने बताया कि एसपी शर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण वैभव शर्मा के सुपरविजन में पुलिस उप अधीक्षक वृत्त ग्रामीण शमशेर खान के नेतृत्व में आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीम का गठन किया। टीम द्वारा तरीका वारदात के आधार पर पूर्व में चालानशुदा आरोपियों का डाटाबेस तैयार कर सभी से पूछताछ की गई। टीम द्वारा वारदात के घटनास्थल का निरीक्षण कर ग्राम करनौस से ब्यावर रोड तक के आसपास के सीसीटीवी कैमरों का बरीकी से निरीक्षण कर घटना में प्रयुक्त वाहन का रुट का विशेूषण किया और मुखबीर की सूचना और तकनीकी सुचनाओं के आधार पर जिला स्पेशल टीम के हैड कानि. देवेंद्र सिंह, आशीष गहलोत व मगनगंज थाने के कानि. सीताराम व विनोद को मिली सूचना पर थानाधिकारी पीसांगन व टीम द्वारा दबिश देते हुए मास्टर माइंड सहित चार आरोपियों को वारदात में इस्तेमाल कार सहित गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तर आरोपियों में मास्टर माइंड हुक्काराम पुत्र प्रभुराम निवासी सैंसडा थाना पादुकलां जिला नागौर, पुष्कर निवासी महेंद्र पुत्र भागचंद रावत, अजय उर्फ सन्नी पुत्र हेमाराम माली व पादुकलां निवासी सुशील पुत्र बन्नाराम बावरी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल बिना नंबरी स्कॉडा कार, जिसके अंदर दो अलग अलग नंबरों की नंबर प्लेटे व एक एटीएम कार्ड बरामद किया है। पुलिस आरोपियों से लूटी गई रकम, सोने चांदी के आभूषण एवं घटना में प्रयुक्त हथियार व कार के संबंध में अनुसंधान जारी है तथा एक अन्य फरार आरोपी की तलाश में जुटी है।

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गठित की गई जिला स्पेशल टीम में मदनगंज थानाधिकारी नेमीचंद, उनि जिला अजमेर विजय सिंह, जिला स्पेशल टीम के हैड कांनि देवेंद्र सिंह व आशीष गहलोत विशेष योगदान, जोगेंद्र सिंह, सुनील मील, हिम्मत तोषिक, प्रवीण, गजेंद्र, मदनगंज थाने के सीताराम व विनोद (विशेष योगदान) सहित पुलिस थाना पीसांगन टीम में थानाधिकारी नरपत रामबाना, सउनि हजारीलाल, सुरेंद्र कुमार, हैड कानि. गणेशराम, कानि. कुशाल, प्रकाश, शोबाम, मुकेश, सुशील, प्रेमसुख, रामकुवार, लोकेश व जसरात शामिल थे।

पर्यटन इकाईयों को मिलेगें एन्टाईटलमेंट प्रमाण पत्र

अजमेर, (कासं)। संभाग की पर्यटन इकाईयों को स्थानीय पर्यटक स्वागत केंद्र द्वारा एन्टाईलमेंट प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। पर्यटन विभाग के उपनिदेशक संजय जौहरी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा के माध्यम से पर्यटन एवं हॉस्पिटीलिटी क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। इस कारण इन पर उद्यम क्षेत्र के अनुसार ही प्रावधान लागू होंगे। इनमें होटल एवं मोटल, हैरिटेज होटल, बजट होटल, रेस्टोरेन्ट या कैफेटेरिया, रिसोर्ट, स्पोटर्स रिसोर्ट, हैल्थ रिसोर्ट स्पा, कैम्पिंग साइट, अम्यूजमेन्ट पार्क, एनिमल सफारी पार्क, एमआईसीई कन्वेन्शन सेन्टर, म्युजियम, रोप-वे, ट्यूरिस्ट लग्जरी कोच, कैरावेन, क्रूज ट्यूरिज्म, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना में प्रस्तावित इकाइ्यां, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त पर्यटन इकाइ्यां, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त पर्यटन इकाइ्यां, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड और राजस्थान राज्य होटल निगम के अधिकारी क्षेत्र की पर्यटन इकाईयां तथा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन समस्त राजकीय संग्रहालय शामिल है। उन्होंने बताया कि पर्यटन इकाईयों को औद्योगिक लाभ के लिए एन्टाईटलमेंट प्रमाण पत्र लेना होगा।

वक्फ जायदाद को मुक्त कराने की मांग

भीलवाडा, (निसं)। स्थानीय गुलजी पीर दरगाह से दारुल उलूम के बीच वाले भूभाग पर षड्यंत्र कर दाई हलीमा हॉस्पिटल बनाने और इस वक्फ जायदाद पर नाजायज तरीके से अपना आधिपत्य जमाने का आरोप लगाने वाले और स्वयं को असली वारिसान और मुतावली कहने वाले परिवार के सदस्यों ने वक्फ जायदाद को मुक्त कराने के लिए 23 मई को जयपुर वक्फ बोर्ड के समक्ष धरना देने का ऐलान किया है। सदस्यों ने लिखित ज्ञापन भेज कर इस वक्फ जायदाद को मुक्त कराने की मांग की है।

भारत सरकार Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय Ministry of Environment, Forest & Climate Change
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर Integrated Regional Office, Jaipur

ए218 & बी 216 "अरण्य भवन" झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004/ A-218 & B-216, ARANYA BHAWAN, JHALANA INSTITUTIONAL AREA, JAIPUR-302004 दूरभाष/Tel No: 0141-2713858, 2713786 Email: iro.jaipur-mefcc@gov.in
पत्र संख्या-8बी/राज0052022-JPR दिनांक: 21st February, 2022
सेवामें, शासन सचिव(वन), सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन, जयपुर, राजस्थान।
(Online Proposal No: FP/RJ/Pipeline/147391/2021)

विषय: Diversion of 3.4384 ha. forest land for Laying of Underground of 8"/12" Dia Carbon Steel Gas Pipeline Along the NH-8 Road Within the Existing Row from CGS Daulat khera (CGS) to Beawar on L.H.S.(Length 35.200Km) in District-Ajmer (Rajasthan) in favour of Indraprastha Gas Limited. सन्दर्भ: शासन सचिव, राजस्थान का पत्रांक-प.1(3)वन/2022, जयपुर, दिनांक-24.01.2022. महोदय, उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी। प्रकरण के परीक्षणोपरान्त केन्द्र सरकार उपरोक्त विषयांकित परियोजना हेतु 3.4384 हे0 वनभूमि के प्रत्यावर्तन एवं बिना वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति (In-principle/Stage-I approval) निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है: **A: Conditions which needs to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department:** 1. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years. 2. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 3.4384 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and revision of NPV vide Ministry letter No. 5-3/2011-FC(Vol-1) dated 06.01.2022 in this regard. 3. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect. 4. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector. 5. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of concerned Divisional Forest Officer. 6. The KML file of the area to be diverted and the CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be. 7. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal. **B: Conditions which needs to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:** 1. Legal status of the forest land shall remain unchanged. 2. Forest land will be handed over to the User Agency only after required non-forest land for the project is handed over to the User Agency. 3. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 10.00 ha de-graded forest land, Compartment No. 45j/14 in Village - Mandawariya, TehsilKishangarh, District- Ajmer of Rajasthan at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mono-culture of any species may be avoided. 4. The Pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after lying down of pipeline the ground will be leveled. 5. No tree felling shall be involved in the implementation of this project. 6. No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused. 7. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government. 8. No labour camp shall be established on the forest land. 9. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel. 10. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer. 11.No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work. 12. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less. 13. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal. 14. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India. 15. The User Agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government and Integrated Regional Office, Jaipur by the end of March every year. 16.The User Agency shall comply with all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project. 17. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No 1142/2017-FC dt 29/01/2018. 18. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife. 19. The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/). After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for Final/Stage-II approval under Section2 of the Forest (Conservation) Act, 1980. The User Agency shall take up the work as per the guidelines in force and after ensuring that all necessary clearances for the entire stretch are in place. Working permission, if any issued, shall be intimated to IRO, Jaipur. Transfer of forest land shall not be effected till Final/Stage-II approval is granted by the Central Government in this regard. Further, it may also be noted that this In-principle / Stage-I approval shall be valid for a period of 5 years from the date of issue of this letter. In the event of non-compliance of the above conditions, this In-principle approval shall be revoked after five (05) years.

भवदीय, (श्रवण कुमार वर्मा), उप महानिरीक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी

रेलवे ने बदली टेंडर प्रक्रिया, अब ई-नीलामी से होंगे टेंडर

अजमेर, (निसं)। रेलवे में टेंडर (ठेका) की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने, सरलीकरण करने, विवादों से बचने जैसे कई फायदों वाली ई ऑक्शन यानी ई-नीलामी की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है।

अब रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार अजमेर मंडल पर भी रेल प्रशासन द्वारा वाणिज्यिक आय और गैर किराया राजस्व संबंधित अनुबंधों जैसे पार्किंग, एसएल आर लीजिंग, पब्लिसिटी आदि को ई-ऑक्शन के माध्यम से पूरा करने का निर्णय लिया गया है। इस ऑनलाइन व्यवस्था से वाणिज्य विभाग के इन मदों से सम्बंधित ठेके की प्रणाली अब तेज और पारदर्शी हो गई है। इसके लिए एक पोर्टल शुरू किया गया है। इंडियन रेलवे ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (आईआरईपीएस) नामक प्रणाली के जरिए संबंधित निविदाओं की प्रक्रिया को अब ऑनलाइन नीलामी (बोली) के माध्यम से पूरा किया जायेगा। अब ये निविदाएं ऑनलाइन देखी व भरी जा सकती है। इनका मूल्यांकन व परिणाम भी ऑनलाइन संभव है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक विवेक रावत के अनुसार वाणिज्य विभाग के पार्किंग, एसएल आर लीजिंग, पब्लिसिटी आदि के ई.ऑक्शन से टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।

जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक आयोजित

- संभागीय आयुक्त मेहरा ने जनसुनवाई का निरीक्षण किया

संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने आमजन को राहत पंहुचाने के लिए जनसुनवाई आयोजित करने के निर्देश दिए है।

अजमेर, (कासं)। जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक तथा जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन गुरूवार को कलक्ट्रेट स्थित डीओआईटी वीसी रूम में हुआ। संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने इसका निरीक्षण किया। किशनगढ़ विधायक सुरेश टांक ने सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ चर्चा की।

संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने कहा कि राज्य सरकार ने आमजन को राहत पंहुचाने के लिए जनसुनवाई आयोजित करने के निर्देश दिए है। इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को जनसुनवाई में उपस्थित रहना आवश्यक है। साथ ही ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से जनसुनवाई में भाग लेंगे। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की जानी चाहिए। इसे गंभीरता से नहीं लेने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में उपस्थित नहीं रहने वाले विभागीय अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। इसी तरह राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के प्रति उदासीनता दिखाने वाले अधिकारियों पर भी कार्यवाही की जाएगी। पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों को गलत विभाग के पास हस्तांतरित करने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि आमजन के दु:ख दर्द को दूर करना सवोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। आमजन को राहत पहुंचाने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को सीधी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। इससे सरकार द्वारा जनहित में किए जाने वाले कार्यों से अधिकतम व्यक्ति लाभान्वित होंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग जनता से सीधा जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए विभाग के अधिकारियों के मोबाईल नम्बर भी सार्वजनिक रूप से जारी किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में आने वाले प्रकरणों को पंजीकृत कर हाथों-हाथ निस्तारित करने की दिशा में कार्य करने से जनसुनवाई की सार्थकता है। यह कार्य विभागीय अधिकारियों तथा पीड़ित व्यक्ति के एक स्थान पर होने पर आसानी से किया जा सकता है। जिला एवं ब्लॉक स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों को अपने कार्यालय में नियमित दैनिक जनसुनवाई भी करनी चाहिए। दैनिक जनसुनवाई के दौरान प्राप्त होने वाली शिकायतों का पंजीकरण अवश्य किया जाए। इन शिकायतों का निस्तारण कर देने से उच्च स्तर पर न्यूनतम शिकायतें ही आएगी। मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर ध्यान देने से शिकायतों की संख्या में कमी आती है।

जिला कलैक्टर अंश दीप ने बताया कि जनसुनवाई के दौरान 30 प्रकरणों को सुना गया। इन पर त्वरित कार्यवाही के लिए सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इन प्रकरणों के निस्तारण के साथ ही परिवादी को दुरभाष के माध्यम से कार्यवाही की सूचना दी जाएगी। इसी प्रकार जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक में 18 प्रकरणों पर चर्चा की गई। इनमें से 2 प्रकरण निस्तारित किए गए। पुष्कर में सिवायचक भूमि के खसरों पर से अतिक्रमण परिवादी की उपस्थिति में आगामी 15 दिन में हटाए जाएंगे। लोहारवाड़ा के पनघट एवं माताजी के रास्ते पर अतिक्रमण की मौका जांच अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम द्वारा परिवादी की उपस्थिति में किया जाकर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। लोहारवाडा में सरपंच द्वारा चबूतरी तोड़ने के प्रकरण के सम्बन्ध में गुरूवार शाम 5 बजे विकास अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण किया जाएगा। गोविंदगढ़ में सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माण के सम्बन्ध में फोटोग्राफी के साथ उपखण्ड एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के द्वारा परिवादी की उपस्थिति में 15 दिनों में रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर कैलाश चंद्र शर्मा एवं भावना गर्ग, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरारी लाल वर्मा, जिला रसद अधिकारी हेमंत स्वरूप माथुर एवं उपखण्ड अधिकारी महावीर सिंह सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

भारत सरकार Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय Ministry of Environment, Forest & Climate Change
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर Integrated Regional Office, Jaipur

ए218 & बी 216 "अरण्य भवन" झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004/ A-218 & B-216, ARANYA BHAWAN, JHALANA INSTITUTIONAL AREA, JAIPUR-302004 दूरभाष/Tel No: 0141-2713858, 2713786 Email: iro.jaipur-mefcc@gov.in
पत्र संख्या-8बी/राज009/2022-JPR दिनांक: 07th March, 2022
सेवामें, शासन सचिव(वन), सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन, जयपुर, राजस्थान।
(Online Proposal No: FP/RJ/Pipeline/147451/2021)

विषय: Diversion of 3.50 ha. forest land in favour "Laying of Under ground of 8"/12" Dia Carbon Steel Gas Pipeline Along the NH-8 Road Within the Existing Row from Tapping Point NH-8 Jaipur - Ajmer- Bypass Tiraha at Gagwana to Mangliyawas Tapping Point (Length 35.00 Km)in District - Ajmer (Rajasthan) by Indraprastha Gas Limited. सन्दर्भ: शासन सचिव, राजस्थान का पत्रांक-प.1(5)वन/2022, जयपुर, दिनांक-27.01.2022. महोदय, उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी। प्रकरण के परीक्षणोपरान्त केन्द्र सरकार उपरोक्त विषयांकित परियोजना हेतु 3.50 हे0 वनभूमि के प्रत्यावर्तन एवं बिना वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति (In-principle/Stage-I approval) निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है: **A: Conditions which needs to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department:** 1. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years. 2. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 3.50 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and revision of NPV vide Ministry letter No. 5-3/2011-FC(Vol-1) dated 06.01.2022 in this regard. 3. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect. 4. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector. 5. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of concerned Divisional Forest Officer. 6. The KML file of the area to be diverted and the CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be. 7. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal. **B: Conditions which needs to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Final/Stage-II approval:** 1. Legal status of the forest land shall remain unchanged. 2. Forest land will be handed over to the User Agency only after required non-forest land for the project is handed over to the User Agency. 3. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 10.00 ha de-graded forest land, Survey No. 45j/14, Mandavariya, Tehsil- Kishangarh, DistrictAjmer of Rajasthan at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mono-culture of any species may be avoided. 4. No tree felling shall be involved in the implementation of this project. 5. The Pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after lying down of pipeline the ground will be leveled. 6. No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused. 7. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government. 8. No labour camp shall be established on the forest land. 9. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel. 10. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer. 11.No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work. 12. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less. 13.The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal. 14. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India. 15. The User Agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government and Integrated Regional Office, Jaipur by the end of March every year. 16.The User Agency shall comply with all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project. 17. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11 42/2017-FC dt 29/01/2018. 18.Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife. 19. The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/). After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for Final/Stage-II approval under Section2 of the Forest (Conservation) Act, 1980. The User Agency shall take up the work as per the guidelines in force and after ensuring that all necessary clearances for the entire stretch are in place. Working permission, if any issued, shall be intimated to IRO, Jaipur. Transfer of forest land shall not be effected till Final/Stage-II approval is granted by the Central Government in this regard. Further, it may also be noted that this In-principle / Stage-I approval shall be valid for a period of 5 years from the date of issue of this letter. In the event of non-compliance of the above conditions, this In-principle approval shall be revoked after five (05) years.

भवदीय, (श्रवण कुमार वर्मा), उप महानिरीक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

क्रमांक : न.नि.अ./एम.बी./22-23/416 दिनांक : 19.05.2022

आपत्ति सूचना

श्री बंशीलाल अग्रवाल पुत्र स्व. श्री मदनगोपाल अग्रवाल निवासी म.नं. 22/292 प्लाजा सिनेमा रोड अजमेर हाल निवासी आनासागर सरक्यूलर रोड, अजमेर द्वारा एक सम्पत्ति संख्या 04 जो खसरा नं. 311 थोक तेलियान का भाग है जो वाके आनासागर सरक्यूलर रोड अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 221.82 व.मी. भूमि के आबासीय से व्यावसायिक वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएं निम्नानसार है।

पूर्व : आनासागर सरक्यूलर रोड — पश्चिम : भूखण्ड संख्या 2
उत्तर : अन्य की सम्पत्ति — दक्षिण : भूखण्ड संख्या 3

अतः जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

कार्यालय नगर पालिका गुलाबपुरा (भीलवाडा)

क्रमांक : तामीरात/502 दिनांक : 19.5.22

उजरदारी नोटिस

श्री विनोद कुमार त्रिपाठी पिता श्री नाथूलाल निवासी गुलाबपुरा वार्ड नम्बर महेश कालोनी भू.सं. 05 का पूर्वी हिस्सा माप 5x50, आदर्श नगर कालोनी व भू.सं. 06 माप 25x50 द्वारा पालिका कार्यालय में भवन निर्माण स्वीकृति हेतु/भूखण्ड हस्तान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अत: इस सूचना पत्र के माध्यम से सार्वजनिक सूचना प्रसारित की जाती है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त भवन निर्माण स्वीकृति/भूखण्ड हस्तान्तरण के संबंध में कोई आपति हो तो लिखित रूप में मय दस्तावेजी प्रमाणों को संलग्न करते हुए एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत कर दें। उक्त अवधि के पश्चात कोई आपित्त मान्य नहीं होगी। पत्रावली एवं दस्तावेजो का निरीक्षण कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के समय देखा जा सकता है।

पडौस विवरण
पूर्व : प्लाट सं. 07 स्थित — पश्चिम : प्लाट सं. 05 का due part
उत्तर : प्लाट सं. 17 स्थित — दक्षिण : 30 मीटर रोड स्थित

अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, गुलाबपुरा

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (अधिशाषी अधिकारी) नगर पालिका, आसीन्द जिला-भीलवाड़ा (राज.)

क्रमांक:-न.पा.आ./लोकसूचना/69-ए/2022-23/666 दिनांक- 18-5-2022

प्रारूप-5 (नियम 6 (2) देखिए

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 69-क के अधीन नीचे वर्णित आवेदकों ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपनी भूमि में अपने अधिकार आवासीय/व्यावसायिक पट्टा प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के लिए पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिए नगरपालिका आसीन्द के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये हैं।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	वार्ड/कॉलोनी/गली का नाम	उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	उत्तर दिशा दिर्शित करते हुए लम्बाई और चौड़ाई सहित क्षेत्र (वर्ग फिट में)
1.	श्रीमती अनु देवी राम लाल शर्मा	वार्ड नं. 24 झोगियो की जोपड़िया आसीन्द	राधेश्याम शर्मा का मकान	श्रीमती सीता देवी पत्नि शान्तीलाल	श्री विनोद मेवाड़ा का मकान	आम रास्ता	1731 वर्गफिट

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69-क के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह नोटिस के प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत अवधि के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा/निस्तारण किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक .... को जारी की गयी। (मनीष कुमार सांगेला) प्राधिकृत अधिकारी अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, आसीन्द

भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India

तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, तृतीय मंजिल, मैट्रिक्स मॉल सेक्टर-4, जवाहर नगर, जयपुर (राजस्थान)- 302004
ई-मेल: sbi.18184@sbi.co.in, शाखा कोड: 18184
फोन: 0141-2657811, 2657921, 2657926, 2657989

"परिशिष्ट-IV-क" {नियम 8(6) का परन्तुक देखें}

अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधकशुदा है, का वास्तविक कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहां है", "जैसी है", और "जो कुछ भी है" और "दायित्व रहित"** के आधार पर ऋणी **मैसर्स वीनस एन्टरप्राईजेज प्रो. श्रीमती ज्योति भोजवानी पत्नी श्री जगदीश भोजवानी, गारन्टर श्री दीपक चैनानी पुत्र स्व. श्री विष्णु चैनानी से भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा (एसएआरबी), जयपुर (राज.)**, प्रतिभूत लेनदार की **रू. 40,78,118.82 अक्षरे चालीस लाख अट्ठहत्तर हजार एक सौ अट्ठारह रुपये एवं बियासी पैसा मात्र दिनांक 28.02.2017** तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे की वसूली हेतु **दिनांक 10.06.2022** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम राशि निम्न तालिका अनुसार होगी। धरोहर राशि बैंक/एमएसटीसी की वैब साइट पर दी गई प्रकिया अनुसार **दिनांक 09.06.2022** से पूर्व जमा कराई जा सकती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण	1. आरक्षित मूल्य 2. धरोहर राशि	समय
श्री दीपक चैनानी पुत्र स्व. श्री विष्णु चैनानी की ए.एम.सी. नं. 29/792-बी, पिपली का कुंआ, धोला भाटा, अजमेर, तहसील व जिला-अजमेर (राज.) स्थित आवासीय सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 334.75 वर्ग गज) चारो ओर की सीमाएं- पूर्व में- उमेश उपाध्याय की सम्पत्ति, पश्चिम में- श्रीमती तारा देवी की सम्पत्ति, उत्तर में- श्रीमती नाथी देवी की सम्पत्ति, दक्षिण में- रास्ता (पैसेज) एवं श्री भागचन्द की सम्पत्ति	1. रू. 30.67 लाख 2. रू. 3.07 लाख	दोपहर 02:00 से दोपहर 03:00

इच्छुक बोलीदाता एमएसटीसी के पास प्री-बिड ईएमडी की राशि ई-नीलामी बंद होने से पूर्व जमा कर सकते हैं। एमएसटीसी के बैंक खाते में भुगतान की प्राप्ति और ई-नीलामी वेबसाइट में ऐसी जानकारी को अपडेट करने के बाद ही बोलीदाता को प्री-बिड ईएमडी का क्रेडिट दिया जाएगा। इन कार्यवाहियों को अद्यतन/अपडेट होने में बैंकिंग प्रकिया के अनुसार कुछ समय लग सकता है और इसलिए बोलीदाताओं को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि अंतिम समय की किसी भी समस्या से बचने के लिए बोली पूर्व ईएमडी राशि पर्याप्त समय रहते जमा करें।

ऋण भार : ज्ञात नहीं

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिए गए **भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा (एसएआरबी), जयपुर (राज.)** प्रतिभूत लेनदार की वेबसाईट अर्थात https://sbi.co.in/web/sbi-in-the-news/auction-notices/sarfaesi-and-others एवं https://ibapi.in/Sale_Info_Home.aspx पर देखें। हस्ता.

दिनांक: 17.05.2022 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: जयपुर (राज.) — भारतीय स्टेट बैंक

केटामाइन ड्रग्स मामले में गुजरात क्राईमब्रांच ने पुष्कर में दी दबीश

- एक व्यापारी को पहले ही पुलिस 3 दिन पहले गिरफ्तार कर चुकी है

पुष्कर, (निसं)। पुष्कर में चल रहे नशे के काले कारोबार के खिलाफ गुजरात अहमदाबाद क्राइम ब्रांच पुलिस ने गुरुवार को पुष्कर में केटामाइन ड्रग्स मामले में मेडिकल संचालक को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए गुजरात ले गई।

पुष्कर में चल रहे नशे के काले कारोबार के खिलाफ गुजरात अहमदाबाद क्राइम ब्रांच पुलिस ने गुरुवार को पुष्कर में केटामाइन ड्रग्स मामले में मेडिकल संचालक को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए गुजरात ले गई। एक व्यापारी को पहले ही पुलिस 3 दिन पहले गिरफ्तार कर चुकी है। पुष्कर में कई सालों से केटामाइन का व्यापार चल रहा है।

इस दौरान मामले से जुड़े एक आरोपी के मोतीसर रोड स्थित घर पर क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी की तलाश भी की। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुष्कर होली का चौक स्थित श्री राम मेडिकल के संचालक दीपक शर्मा को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की पुलिस पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है साथ ही पुष्कर के कुरियर व्यवसाय से जुड़े लोगों से भी पूछताछ की गई है और उनके पास उपलब्ध डाटा को खंगाला जा रहा है। गौरतलब है कि भारतीय डाक की पार्सल सेवा के जरिए केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड ड्रग्स को अमेरिका भेजने के मामले का खुलासा अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किया। इस मामले में अजमेर जिले के पुष्कर निवासी सूर्य प्रकाश उर्फ सोनू गोयल को पूर्व में रविवार को गिरफ्तार कर गुजरात ले जाया गया था। मामले में 590 ग्राम केटामाइन ड्रग्स बरामद की जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगभग 3 करोड रुपए कीमत आंकी गई। आरोपी सोनू ने गुजरात नवसारी जिले के विजलपुर इलाके में रहने वाले अपने मित्र सुरेश यादव को 4 मई को पार्सल भेजा था। जिस पार्सल को मुंबई होते हुए अमेरिका भेजने को कहा गया था। सुरेश ने यह पार्सल अमेरिका भेजने के लिए नवसारी डाकघर से पोस्ट भी कर दिया था। 14 मई को पुलिस ने कार्यवाही करते हुए पार्सल जप्त किया। इसके बाद 15 मई रविवार को सोनू को पुष्कर से गिरफ्तार किया गया। पुष्कर में केटामाइन ड्रग से जुड़ा यह पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व 4 जनवरी 2020 को दो आरोपी निखिल सोनी और भरत का 280 कांच के शीशियों में केटामाइन बरामद किया गया था। ऐसा नहीं कि पुष्कर में चल रहे इस काले कारोबार की भनक पुष्कर पुलिस को नहीं हो। कारोबार से जुड़े लोगों ने विभिन्न तारीखों पर इन नशे की खाली शीशियों को सरेआम फेकर पुलिस को चुनौती भी पेश कर चुके हैं।

फिलहाल इस मामले मे गुजरात पुलिस नशे के नेटवर्क को खंगालने में लगी है। आरोपियों से हो रही पूछताछ के बाद पुष्कर में और गिरफ्तारियां हो सकती है। इस कार्रवाई के बाद पुष्कर में नशे का कारोबार करने वाले सभी व्यापारी भूमिगत है।

स्वच्छता मिशन की बैठक आज

अजमेर, (कासं)। जिला कलैक्टर अंश दीप की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक शुक्रवार को शाम 5 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित होगी। जानकारी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार ने दी।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी National Testing Agency
Excellence in Assessment
IIM BODH GAYA | IIM JAMMU

(उच्चत्तर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन Autonomous Organization under the Department of Higher Education, Education, Government of India)

सार्वजनिक सूचना
दिनांक: 10 मई 2022

प्रबंधन प्रवेश परीक्षा 2022 के संयुक्त एकीकृत कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA), प्रबंधन में, शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए, IIM बोधगया और IIM जम्मू में,5 वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम में प्रवेश हेतु JIPMAT -2022 का संचालन निम्नलिखित विवरण के अनुसार करेगी:

ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना	10 मई 2022 से 09 जून 2022 (शाम 5.00 बजे)
ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना (रात्रि 11.50 बजे तक)	10 जून 2022 (Gen-EWS/SC/ST/PwD/ ट्रांसजेंडर के लिए 1000/- रुपये तथा General/OBC (NCL) के लिए 2000/- रुपये)
परीक्षा की तिथि	03 जुलाई 2022 (रविवार)
परीक्षा की पद्धति	कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)
प्रश्नपत्र का प्रारूप	बहुविकल्पीय प्रश्न

अभ्यर्थियों को, कला/वाणिज्य/विज्ञान/डिप्लोमा या 60% के साथ समकक्ष (SC/ST/ PwD/थर्ड जेंडर के अभ्यर्थियों के लिए 55%) में 10+2/XII/HSC/PUC परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या 2020, 2021 में उससे अधिक होना चाहिए या 2022 में उपस्थित हो रहे हों। अभ्यर्थी को, कक्षा 10 की परीक्षा 60% अंकों के साथ (SC/ST/ PwD/थर्ड जेंडर के अभ्यर्थियों के लिए 55%) उत्तीर्ण होना चाहिए। इस परीक्षा में उसकी उत्तीर्णता, वर्ष 2018 से पहले की नहीं हो।

परीक्षा की योजना/अवधि/माध्यम/पाठ्यक्रम, पात्रता मानदंड, अस्थायी प्रवेश, सीटों का आरक्षण, परीक्षा शहर, महत्वपूर्ण तिथियां आदि का उल्लेख www.nta.ac.in और https://jipmat.nta.ac.in. पर प्रदर्शित सूचना विज्ञप्ति में किया गया है। इस परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थी को जिपमैट-2022 के विस्तृत सूचना विज्ञप्ति को पढ़कर केवल https://jipmat.nta.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन ही करना चाहिए। इसके लिए नेट बैंकिंग / डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / यूपीआई के माध्यम से SBI बैंक पेमेंट गेटवे का उपयोग करके परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना आवश्यक है। इस संबंध में, अभ्यर्थियों को नवीनतम जानकारियों के लिए NTA की वेबसाइट www.nta.ac.in और https://jipmat.nta.ac.in के निरंतर संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है। अभ्यर्थी, किसी भी तरह के अन्य स्पष्टीकरण के लिए, NTA को jipmat@nta.ac.in पर ईमेल कर सकते हैं या 011-4075 9000 या 011-6922 7700 पर कॉल कर सकते हैं।

डॉo साधना पाराशर
वरिष्ठ निदेशक (परीक्षा)

davp 21354/12/0004/2223